न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

मु.नं.:– 37 / 2024

तारीख रजू :– 02.07.2024

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

रामकिशन पुत्र गंगासहाय उम्र 65 वर्ष जाति बैरवा, निवासी नौरंगाबाद तहसील महवा, जिला दौसा (राज0)

सायल

बनाम

1. संजय पुत्र हरेती मीना
2. महेश पुत्र हरेती मीना
3. हरेती पुत्र भौंडया

   सभी जाति मीना निवासी मातासूला, तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राज0)
4. तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राज0)

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– हंसराम गुर्जर एडवोकेट

2 अप्रार्थी नं0 1 ता 3 की ओर – देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट

सरकार पैरोकार उपस्थिति

निर्णय दिनांक– 31/07/2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सायल के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1683 रकवा 0.11 है0, 1698 रकवा 1.00 है0 कुल किता 2 कुल करवा 1.11 है0 स्थित ग्राम मातासूला, तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी में। जिसमें सायल का सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त [illegible] गैरसायलान का कोई सरोकार नहीं है। गैरसायल नं0 1 ता 3 लठैत व [illegible] दिन गरीब लोगों की भूमियों पर कब्जा करते रहते है। जबकि [illegible] करने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान [illegible] इस गैरकानूनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वाका दिनांक 25.06.2024 को सुबह करीब 9 बजे का है कि सायल अपनी खातेदारी की भूमि पर अगली फसल की बुबाई हेतु साफ सफाई कर रहा था कि गैरसायल नं0 1 ता 3 हाथों में लाठी, डण्डे लेकर आ गये और सायल से कहा कि अब तू इस भूमि पर आना जाना छोड दे। हमारे लट्ठ में ताकत है इलिये इस भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर काश्त करेगें तथा तुझे इस भूमि पर काश्त नहीं करने देगें। तू चुपचाप यहां से चला जा। सायल ने गैरसायलान को काफी समझाया और कहा कि भाईयों ये तो मेरी खातेदारी की भूमि है जिससे आप लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है लेकिन गैरसायलान नहीं माने इसलिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। सायल का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त भी सायल के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 1683 रकवा 0.11 है0, 1698 रकवा 1.00 है कुल किता 2 कुल रकवा 1.11 है0 स्थित ग्राम मातासूला तहसील टोडाभीम में गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करे। सायल को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे सायल को बेदखल कर कब्जा नहीं करे तथा ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायल विपरीत प्रभाव पडे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अधिकतम तथ्यो को अस्वीकार किया है तथा अगवत कराया है कि गैरसायलान गिरोह बन्द व्यक्ति नहीं है बल्कि सभ्य सभ्रात पढे लिखे नौकरी पेशा व्यक्ति है। संजय सरकारी विद्यालय में प्रधानाचार्य है तथ महेश भी राजकीय सेवा में सेवारत है। गैरसायल नं0 3 उनके पिता है जो वृद्ध है तथा गांव में खेती बाडी कर जीवन यापन कर रहे है। दिनांक 25.06.2024 को गैरसायल नं0 2 अपनी राजकीय सेवा पर था तथा गैरसायल नं0 1 व 3 सुबह 09.00 बजे ना तो लाठी–डण्डा लेकर सायल की आराजी पर गये ना ही उसे कोई धमकी दी समस्त तथ्य बिल्कुल झूठे व मनगढन्त अंकित किये है।

अप्रार्थीगण द्वारा जबाव में विशेष विवरण में अंकित किया कि आराजी खसरा नम्बर 1691 रकवा 0.04 है0 1692 रकवा 0.14 है0, 1696 रकवा 1.24 है0, 1697 रकवा 0.11 कुल किता 4 कुल रकवा 1.53 है0 ग्राम मातासूला [illegible] आराजी की खातेदारी सम्वत 2076–79 से किशनलाल, जनकसिंह, किरण, रूपसिंह [illegible] पुत्रान रामकुमार के नाम बतौर खातेदार दर्ज थे। उक्त आराजी में से खातेदार किशनलाल [illegible] किरण ने अपना हिस्सो 1/5 – 1/5 – 1/5 कुल 3/5 जो उक्त आराजी का 1/2 भाग होता है को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.05.2024 को विक्रय कर दिया था तथा उसी दिन से गैरसायलान का मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। सायल का मौके पर ख0नं0 1683,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

1696 कुल किता 2 कुल रकवा 1.11 है0 पर कब्जा नहीं है। उक्त आराजी पूर्व में अनुसूचित जाति के नाम होने के कारण कृपाल पुत्र श्रीमन जाति मीना जो कि पंचायत में सचिव के पद पर है ने वेनामी सम्पत्ति के रूप में खरीद कर सायल रामकिशन के नाम रजिस्ट्री करवाई है। सायल का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। गैरसायलान ने किशन बगै0 से खरीद कर मौके पर काबिज है। कृपाल पुत्र श्रीमन व जलसिंह पुत्र श्रीमन ने पूर्व में भी उसको उसकी भूमि पर आये दिन धमकी देने व जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर एक प्रार्थना पत्र बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 54/2015 प्रस्तुत किया था जो पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.2015 को डिकी फरमाया जाकर कृपाल व जलसिंह को पाबन्द किया गया था कि वे सायल की भूमि में शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। रामकुमार बगै0 ने एक प्रार्थना पत्र मु0नु0 58/2015 को इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया जो सायल के खिलाफ दिनांक 25.10.2017 को डिकी फरमाया जाकर गैरसायलान की आराजीयात ख0नं0 1691, 1692, 1696, 1697 में उनके कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया।

उक्त भूमि गैरसायलान ने किशनलाल, जनकसिंह, श्रीमति किरण पुत्रान रामकुमार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.05.2024 को खरीद की है तथा खरीद के समय से ही मौके पर काश्त कर रहे है तथा गैरसायलान का नाम बतौर खातेदार जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 में दर्ज है। कृपाल पुत्र श्रीमन, जलसिंह पुत्र श्रीमन, जयकिशन पुत्र श्रीमन से खसरा नम्बर 1683 व 1698 को बेनामी खरीद कर अनुसूचित जाति के नाम सायल के नाम रजिस्ट्री करवाई है। मौके पर सायल का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। उक्त कृपाल, जलसिंह, व जयकिशन तीनों जबरन प्रार्थी की भूमि पर आये दिन कब्जा करने की धमकी देते है तथा कहते है कि हम तुम्हें इस भूमि पर काश्त नहीं करने देगें। आराजीयात ख0नं0 1691, 1692, 1696, 1697 कुल किता 4 कुल रकवा 1.53 है स्थित ग्राम मातासूला में स्थित है। जिस पर गैरसायलान को शान्तिपूर्वक काश्त करने देने व गैरसायलान को स्वयं या अपने अन्य हमराहियान द्वारा प्रतिवादी डिकी कर पाबन्द फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस सुनी उस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः—** प्र[illegible] मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम मातासूला की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 [illegible] संख्या 304 में वर्णित खसरा नम्बर 1683 रकवा 0.11 है0, खसरा नम्बर 169[illegible] रकबा 1.00 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.11 है0 प्रार्थी [illegible] है। ग्राम मातासूला के ख0नं0 1696 रकवा 1.24 है0, 1691 [illegible] है0, 1692 रकवा 0.14 है0, 1697 रकवा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकवा [illegible]3 है0 में अप्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मु0नं0 54/2015 में निर्णय दिनांक 12.10.2015 एवं मु0नु0 58/2015 में निर्णय दिनांक 24.10.2017 का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी पूर्व काश्तकार के पक्ष में निर्णित किया गया तथा दोनों केस तथा प्रार्थी के साथ—साथ अप्रार्थी ने भी काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा है, पत्रावली में शामिल दस्तावेज जमाबनदी, पूर्व के मु0नं0 54/2015 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

58 / 2015 में परित निर्णय के आधार पर उभयपक्षकारान को एक–दूसरे के खसरा नम्बरान में मजाहमत मदाखलत, अतिक्रमण करने से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थी–अप्रार्थी दोनों स्वयं के खातेदारी आराजीयात में कब्जे काश्त तक सीमित है। एक–दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण नहीं करे। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्ष के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्षकरान के पक्ष मे साबित है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि उभयपक्षकारान को पाबन्द नही किया जाता है तो उभयपक्षकारान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा से उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि मातासूला की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 के खाता संख्या 304 में वर्णित खसरा नम्बर 1683 रकवा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1698 रकवा 1.00 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.11 है0 में तथा अप्रार्थी की खातेदारी ख0नं0 1696 रकवा 1.24 है0, 1691 रकवा 0.04 है0, 1692 रकवा 0.14 है0, 1697 रकवा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 1.53 है0 में अप्रार्थी 1/2 हिस्से में एक दूसरे की खातेदारी, कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत तथा अतिक्रमण ना करे।

निर्णय आज दिनांक 31/07/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:20 IST
Reason: SelfAttested